

कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी  
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 1855/3क(2)/30 प्रतिशत पदोन्नति/2025-26/दिनांक 27 मार्च, 2026

विज्ञप्ति/30 प्रतिशत पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली- 2019, यथासंशोधित- 2024 के नियम-16 में निहित प्राविधानों के तहत विज्ञप्ति वर्ष 2023-24 के सापेक्ष राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0, सहायक अध्यापक रा0उ0प्रा0वि0 एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/सहायक अध्यापक रा0उ0प्रा0वि0/रा0आ0वि0 के द्वारा पदोन्नति हेतु किये गये आवेदन के क्रम में सम्बन्धित को स0अ0एल0टी0- स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स 44900-142400, लेवल-7) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर एवं सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। पदोन्नति हेतु सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की पदोन्नति समाप्त कर दी जायेगी। जिस हेतु सम्बन्धित का कोई दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा।

**विषय- संगीत**

**महिला संवर्ग**

क्र. सं.	अध्यापक / अध्यापिका का नाम / पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	पदोन्नत / पदस्थापित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रीना, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 थपलिया गांव	पौड़ी	पौड़ी	अ0उ0रा0वा0इ0का0 उत्तरकाशी, भटवाडी, उत्तरकाशी

(कंचन देवराडी)

अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृ0सं0/सेवा.अराज./ 21263-76 /3क(2)/30 प्रतिशत पदोन्नति/2025-26 दिनांक उक्तवत।  
प्रतिलिपि :- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

01. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
05. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं के कार्यभार ग्रहण की सूचना प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। यदि सम्बन्धित विद्यालय से कोई अतिथि शिक्षक प्रभावित होता है तो उसे अपने स्तर से अन्यत्र विद्यालय में समायोजित करना सुनिश्चित करें।
06. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
07. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)।
08. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
09. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा)।
10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

11. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को नियमानुसार कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। उक्त पदोन्नति सूची में से कोई शिक्षक निर्धारित अवधि के भीतर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण नहीं करता/करती है तो ऐसे कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या/251128/XXX(2)/2024-E 69151 देहरादून दिनांक 30 अक्टूबर 2024 द्वारा जारी उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग नियमावली 2024 के प्रस्तर 4(2) एवं (3) के प्राविधानानुसार सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा इस आशय का विधिवत शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय की उसे दी गयी पदोन्नति स्वीकार नहीं है और वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नहीं करेगा/करेगी। इसकी अंकना सेवा पुस्तिका में कर दी जाय। पदोन्नति का परित्याग नियमावली 2024 के उपबन्धों को लागू करने में शिथिलता बरते जाने पर उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 के उपबन्धों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी। उक्त शपथ पत्र मूल रूप में कार्यालय अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी को उपलब्ध कराया जाय।

12. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका को (सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. के माध्यम से) इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित विषय का पद रिक्त होने पर ही सम्बन्धित को कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। सम्बन्धितों के अभिलेखों में किसी भी प्रकार की शर्तें पूर्ण न होने पर सम्बन्धित को कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें:-

(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।

(ख) चयन वर्ष की प्रथम तिथि को न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण की हों तथा वर्तमान में वेतनमान- 44900-142400 वेतन मैट्रिक्स में लेवल 07 में कार्यरत हों।

(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ) उक्त शिक्षकों के लिये नियमावली के नियम 8 के अनुसार प्रशिक्षण अर्हता के उपबन्ध लागू होंगे।

13. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/ प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (एक प्रमाणित छाया प्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या/251128/XXX(2)/2024-E 69151 देहरादून दिनांक 30 अक्टूबर 2024 द्वारा जारी उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग नियमावली 2024 लागू होगी।

14. एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

15. कार्यालय प्रति।

  
27/3/26  
(कंचन देवराडी)  
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी